

136

F-1(32) 2005 - MP

रजिस्ट्री सं. डी.एस.-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859।

No. 859।

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2010/वैशाख 15, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2010/VAISAKHA 15, 1932

शही विकास संचालन

(दिल्ली प्रधान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2010

का.आ. 1025(अ).—यतः यहाँ नीचे उल्लिखित सेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधारों के अनुसार दिनांक 26 नवम्बर, 2009 की सं. का.आ. 3019 (अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा प्राप्त के एवं उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा विचार किया यथा जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अन्दर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तवित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मापले के सभी घटनाओं पर व्यानारूपिक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. यतः अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में ऐतद्वापि निम्नलिखित संशोधन करती है।

जोन "एफ" में 3468.43 वर्ग मी. (प्लॉट सं. 7) माप वाले सादिक नगर सिथि निम्नलिखित सेत्र के भू-उपयोग को "अवासीय" से "सरकारी उपयोग" (सरकारी कार्यालय) में निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थिति	सेत्र	भू-उपयोग (प्लॉट सं. 7)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन "एफ" में 3468.43 वर्ग मी.	अवासीय	सरकारी उपयोग (सरकारी कार्यालय)	भूर्ति परिवर्तित उत्तर	45 मीटर सड़क सी.जी.एच.एस. डिस्ट्रेसरी एवं सी.पी.डब्ल्यू.डी. पृष्ठाओं कार्यालय योजना सेत्र केन्द्र/स्थानीय विपणन (या)
सादिक नगर			दक्षिण	प्रस्तवित युस्तिस पोस्ट

[फा. सं. के-13011/14/2009-डीडी। वी।]

यू. विश्वनाथप, अवर संचिव

1712 GI/2010

(1)
-7-

136
F.I.(32)2005-MP

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2010

S. O. 1025(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 3019(E) dated 26th November, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area measuring 3468.43 sq. m. (Plot No. 7) located in Sadiq Nagar from 'Residential' to 'Government use' (Government Office) falling in Zone-F is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Sadiq Nagar, in Zone-F	3468.43 sq. m.	Residential	Government Use (Government Office)	East - 45 mtr. road West - CGHS Dispensary and CPWD Inquiry Office North - Planning Area Centre/Local Shopping (Part) South - Proposed Police Post

[F.No. K-13011/14/2009-DDB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1108]

No. 1108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 2010/ज्येष्ठ 14, 1932

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 2010/JYAISTHA 14, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2010

विषय—दिल्ली मुक्त योजना-2021 के अनुसरण में होटलों के अतिरिक्त ताल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रधारों का निर्धारण करना।

का.आ. 1323(अ).—दि.मु.यो. 2021 के अस्तिर्थ में आने से होटलों के बड़े हुए ताल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के लिए प्रधारों का निर्धारण सं. का.आ. 2433(अ) दिनांक 10-10-2008 और सं. का.आ. 567(अ), दिनांक 27-2-2009 द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए अधिसूचित किया गया था, जिसे आगे सं. का.आ. 2906(अ) दिनांक 17-11-2009 द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए बढ़ा दिया गया था। अब केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शर्तों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन करता है:—

- (i) होटलों को अतिरिक्त ताल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रदान करने के लिए प्रधारों का निर्धारण/पुष्टान के संबंध में अतिरिक्त कमरों को पूरा करने की विधापान तिथि 31-7-2010 से बढ़ा कर 31-8-2010 करना, और
- (ii) होटलों के वर्गीकरण हेतु समयावधि विद्यमान तिथि 31-8-2010 से बढ़ा कर 30-9-2010 करना।

[फा. सं. एफ. 20(4)2005/एम.पी./पार्ट-1ए]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2010

Sub. :—Fixation of additional FAR charges to hotels pursuant to MPD-2021

S.O. 1323(E).—The fixation of charges for enhanced FAR to hotels arising out of MPD-2021 were notified for the year 2007-08 vide No. S.O. 2433(E) dated 10-10-2008 and No. S.O. 567(E) dated 27-2-2009, which were further extended for the year 2008-09 vide No. S.O. 2906(E) dated 17-11-2009. Now with the prior approval of the Central Government, Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), makes the following modifications:—

- (i) for extension of date of completion of additional rooms from the existing 31-7-2010 to 31-8-2010 with regard to fixation/payment of charges for grant of additional FAR to hotels, and
- (ii) for extension of time period for classification for the hotel—from the existing 31-8-2010 to 30-9-2010.

[F. No. F. 20(4)2005/MP/Pt-1A]

V. M. BANSAL, Principal Commr.-cum-Secy.



भारत का गज़ीत The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

पात्र II—उप ३—खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रापिकार में प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1752।

No. 1752।

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रृत 25 2010/भाद्र 3, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

गढ़ी विकास पंचालय

(दिल्ली उपाय)

अधिसंचार

नई दिल्ली 24 अगस्त 2010

का.आ. 2069(अ)।—यह यहाँ नीचे उल्लिखित संख्या के संबंध में भारत सरकार को जिन वाले संशोधनों का प्रत्यक्ष या उनमें उल्लिखित विकास प्रापिकारण द्वारा दिल्ली विकास प्रापिकारण, 1937 (1937 का 61) के खण्ड (II) के अनुसार इनके अनुसार इनके 4 दिसंबर, 2009 की सं. कांडा 3098(अ) की गारंजित गोपनीय द्वारा प्रत के एवं प्रत के एवं प्रत के असंघर्ष में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस को तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड (I)-प के उप-खण्ड (3) द्वारा युवा अपेक्षित आवश्यक सुझाव आपौत्रित किए गए थे।

2. यह: प्रत्येक संशोधनों के संबंध में प्राप्त आवश्यक सुझावों पर दिल्ली विकास प्रापिकारण द्वारा विचार किया गया; और

3. यह: केन्द्र सरकार ने यापति के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार करने के पश्चात दिल्ली सरकार द्वारा 2021 का संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. यह: अब, उक्त अधिनियम के खण्ड (I)-प के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त संशोधनों के प्रयोग के लिए द्वारा केन्द्र सरकार भारत के एवं प्रत के अधिनियम को तारीख से दिल्ली के उक्त सरकार द्वारा 2021 में निर्दिष्ट संशोधन करायी गई है।

जोन-सी में आजादपुर, नई दिल्ली में आने वाली निम्नलिखित 3.0 हे. पूर्ण का पूर्ण उपर्योग निलंबित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

अवधिस्थित	संवेद	मूल उपर्योग	परिवर्तित उपर्योग	सौचार्य
(संपादी-2021)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-सी में आजादपुर 3.0 हे.	'मनोरंजन'	'परिवहन-सी-2' (एक्सट्राएम सम्पर्क विकास/समर्पित विकास)	पूर्ण - संस्कृतीय वाग (मूलोंवाक्) वित्त पात्र	परिचय - आजादपुर जौक उत्तर - जौकी कलाल गोद/गोल रोड दक्षिण - जौकी गोद/गोल बने - (जिल्हा शार्क) [म. के 1301/1/2009-दो दो। जौ]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2010

S.O. 2069(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice, vide No. S.O. 3098(E) dated 4th December, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) in view of objections and suggestions received by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering the same, permitted the same to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:

MODIFICATION:

The land-use of the following area measuring 3.0 ha at Azadpur, New Delhi in Zone-C is changed as per description listed below:

Location	Area	Land-use (MPD-2021)	Land-use rechanged to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Azadpur in Zone-C	3.0 ha	'Recreational'	Transportation-T2 (MRTS Property Development/Composite Development)	East - Parmeshwar Wala Bagh (Retirement)- District Park West - Azad Pur Chawki North - G.T. Kamal Road/Mall Road South - G.T. Road/Recreational (District Park)

[No. K-13011/2009-DD1B]

U. VISWANADHAM, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

पांग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2245]

नई दिल्ली, बुहास्पतिवार, अक्टूबर 28, 2010/कार्तिक 6, 1932

No. 2245]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2010/KARTIKA 6, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(पुष्य योजना अनुपात)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2010

विषय :—दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तत्त्व शेवफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के लिए सरकारी विभागों (केंद्र सरकार/रा.रा.झे. दिल्ली सरकार के विभागों) से लिए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 266(3).—दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तत्त्व शेवफल अनुपात (एफ.ए.आर.) इधार देने की दरों वर्ष 2007-08 के लिए सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23 दिसंबर, 2008 द्वारा अधिसूचित की गई थी और उन्हें वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए क्रमशः अधिसूचना सं. का.आ. 2906(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2009 और सं. का.आ. 1257(अ), दिनांक 31 मई, 2010 द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की घास 57 द्वारा प्रदत्त वित्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा संशोधन किया है कि दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तत्त्व शेवफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रभारों के संबंध में सरकारी विभागों (केंद्र सरकार/रा.रा.झे. दिल्ली सरकार के विभागों) से कोई प्रधार असूल नहीं किया जाएगा। दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय आपन के अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

[सं. एफ-20(4)05/एम.पी./पार्ट-II/पार्ट]

डॉ. सरकार, अध्यक्ष एवं सचिव।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2010

Sub :—Fixation of charges for additional FAR arising out of MPD-2021 from Government Departments (Central Government/GNCTD Departments).

S.O. 2661(E).—The rates for grant of additional FAR charges arising out of MPD-2021 were notified for the year 2007-08 vide No. S.O. 2955(E), dated 23rd December, 2008 and further extended for the year 2008-09 and 2009-10 vide notification No. S.O. 2906(E), dated 17th November, 2009 and No. S.O. 1257(E), dated 31st May, 2010 respectively. Now, Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) with the previous approval of the Central Government, hereby makes the modification that no charges are to be levied towards Additional FAR charges arising out of MPD-2021 from Government Departments (Central Government/GNCTD Departments). The contents of O.M. dated 8th October, 2008 will remain unchanged.

[No. F-20(4)05/MP/Pt-II/Part]

D. SARKAR, Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

पार्ट II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429।

No. 429।

नई दिल्ली, द्वाष्टाविंशति, मार्च 10, 2011/फाल्गुन 19, 1932
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2011/PHALGUNA 19, 1932

शही विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

क्र.आ. 500(अ).—यतः नीचे उल्लिखित शेष के बारे में केंद्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राप्तिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 वां प्रावधानों के अनुसार दिनांक 19 मई, 2010 के सं. क्र.आ. 1183(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के अग्राधारण एजेंट में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे :

2. यतः दिस्ती विकास प्राप्तिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त अपत्तियां/सुझावों पर विचार किया गया है; और
3. यतः केंद्र सरकार ने यापते के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एवं द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन कर्तुम हैं।

मैक्टर-17, द्वारका, नई दिल्ली, ज्वेन "के-॥" में आने वाले 1.0 हेक्टेयर के माप वाले निम्न भू-शेष का उपयोग 'सार्वजनिक एवं अर्थ-सरकारी सुविधाओं' से 'सरकारी कार्यालय/कोट' में नीचे दिए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जात है :—

स्थान	शेषफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमां
1	2	3	4	5
ज्वेन "के-॥" में सेक्टर-17, द्वारका	1.0 हेक्टेयर	'सरकारी एवं अर्थ- सरकारी सुविधाएं'	'सरकारी कार्यालय/कोट'	उत्तर- 45 मी. चौड़ी सड़क, न्यायिक अकादमी- पूर्व- 30 मीटर चौड़ी सड़क, सार्वजनिक एवं अर्थ-सार्वजनिक सुविधाएं दक्षिण- कर्माण्ड टैक पश्चिम- जनराय हाउसिटल, सेक्टर-17 60 मीटर चौड़ी सड़क

[क्र. सं. के-13011/1/2010-दो ढी आई नी.]

यू. विश्वनाथप्प, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2011

S.O. 500(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1183(E), dated 19th May, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify, the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India :

Modification :

The land use of the following area measuring 1.0 ha. in Sector 17, Dwarka, New Delhi in Zone 'K-II' from 'Public and Semi-Public Facilities' to 'Government Office/Courts' is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Sector 17, Dwarka in Zone 'K-II'	1.0 Ha.	'Public and Semi-Public Facilities'	'Government Office/Courts'	North - 45m wide road, Judicial Academy. East - 30m wide road, Public & Semi-Public Facilities. South - Command Tank. West - General Hospital, Sector-17, 60m wide road.

[F.No. K-13011/1/2010-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

ધાર્મિક પત્રા

III—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से इकानित

1-62

PUBLISHED BY AUTHORITY

卷之三

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2011/वृश्च 28, 1933
NEW DELHI, SUNDAY, APRIL 18, 2011

www.ijerph.org

पुरा विकास मं.

(दिल्ली शुभा
उपनिषदः)

आपसुचना

कांडा-रुद्रपुर, 15 अप्रैल, 2011

2. यह प्रस्तुति संस्कृत के संबंध में प्राचीन अधिवेशनों/सुझावों पर बिन्दुतः विकल्प प्राप्ति करना होगा जिसके अंतर्गत सभी वैदेशी तथा

३. यह केंद्र सरकार ने पापते से सभी पहुंचेर पर ध्यानावृत्तिक विचार करने के बाद दिल्ली की पाठार प्लान-2021 में संशोधन करने का ऐसा

4. अर्थात्, अब, उक्त अधिकारियों के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत के गवर्नर चर्च में इस अधिकारियक के स्वतंत्रता को लाभार्थी से उक्त मास्टर एन्जीनीय-2021 में एतदहारा निम्नलिखित संघरण करता है।

क्रम सं.	पुस्तक में	दिल्ली पाठ्य-सत्र-2021 का नैयर/चलन सं.	संरक्षण
I.	15	333.17(vii)	"गीता भव भवति एव वा विद्यते" — गीता १८-१५

1.	15	33.1.1 (पा. viii)	"ठा एस आ से कर संपादित विकास" सार्वतों को निकाल दिया जाए ।
2.	82	मेट्रो ट्रेसर्व्हन के लिए विकास नियंत्रण	क्रम सं । में "मेट्रो स्टेशनों के लिए विकास नियंत्रण" शीर्षक के अन्तर्गत "शीर्षक और कठीनी की समिति के अनुच्छेदन को अध्यापीन" शब्दों को निकाल दिया जाए ।
3.	82	मेट्रो ट्रेसर्व्हन के लिए विकास नियंत्रण	(उप-क्रम सं. (v) के बाद क्रम सं. 3 में "मेट्रो स्टेशनों के लिए विकास नियंत्रण" शीर्षक के अन्तर्गत नियमान्वयित्व संस्थानाएं जोहोरी जारी । (vi) प्रवालन और अनुशासन स्टाफ के लिए पार्टी और प्रशिक्षण केंद्र । (vii) प्रवालन और मेट्रो सुरक्षा कार्रवाई के लिए ही आवास । (viii) मेट्रो परियोजनाओं के नियाम के निए युह किए जाने वाले
			पुरावर्ती कार्य ।
			(ix) स्वर्वाचिकासा सुविधाओं के लिए मेट्रो स्टेशनों में लगाने । (x) मेट्रो ट्रेसर्व्हन के अंतरा पर्याप्ताओं के क्रम संयंत्रण ।

[फा. सं. क्र.-12011/3/2007-होमी - १३]

३८५

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
 (DELHI DIVISION)
 NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2011

S.O. 751(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 398(E), dated 4-2-2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modifications have been considered by a Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Sl. No.	Page No.	Para/Clause No. of MPD-2021	Modifications
1.	15	3.3.1.1 A (vii)	The words "Property development of DMRC" shall be deleted.
2.	82	Development Controls for Metro Stations	Under the Heading "Development Controls for Metro Stations" in Sl. No. 1 the words "Subject to approval of Technical Committee of DDA" shall be deleted.
3.	82	Development Controls for Metro Stations	Under the Heading "Development Controls for Metro Stations" in Sl. No. 3 after Sub Sl. No. (vi), the following structures shall be added: (vi) Recruitment and Training Centers for operational and maintenance staff. (vii) Housing for operational staff and Metro security personnel only. (viii) Rehabilitation work to be undertaken for the construction of Metro Project. (ix) Shops in Metro Stations to cater to the public amenities. (x) Structure above platform over the foot print of the Metro Stations.

[F. No. K-12011/5/2007-DDB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

महाभारत
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 672।

No. 672।

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 2011/वैशाख 6, 1933
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 2011/VAISAKHA 6, 1933

राष्ट्रीय विकास योजनाय

(दिल्ली प्राप्त)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2011
का.आ. 789(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित देव्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में
केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम,
1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधारों के अनुसार दिनांक 29 सितम्बर,
2010 की का.आ.सं. 2352(ई) की तार्जनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण
राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जितर्म उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर
उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव
आपूर्ति किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में ग्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों पर दिल्ली
विकास प्राधिकारण द्वारा विचार किया गया है; और
3. यतः केन्द्र सरकार ने मांगते के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के
बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
4. अतः जब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित
होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एनद्दारा निम्नस्थिति
संशोधन करती है।

संशोधन:

I. कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली के जोन-डी के दक्षिण में स्थित 27.97 हेक्टेयर क्षेत्र माप के निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:-

स्थान	क्षेत्र	भू-उपयोग (एप्रील-2021)	भूमि उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, जोन-डी के दक्षिण में	27.97 हेक्टेयर	सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक (पी-1, लैट्रीय एच मी)	मनोरंजनात्मक (पी-1, लैट्रीय पार्क)	उत्तर- कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र दक्षिण- लैट्रीय पार्क पूर्व- उत्तर सांस्थानिक क्षेत्र परिवर्तन- जे इन यू. रोड

II. कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली के जोन-जे के दक्षिण में स्थित 20 हेक्टेयर क्षेत्र माप के निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग के (विधान एम.जी.रोड के साथ प्रस्तावित एम.जी.रोड के विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:-

स्थान	क्षेत्र	भू-उपयोग (एप्रील-2021)	भूमि उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
पहरोती पांहिपातपुर रोड, जोन जे के दक्षिण में (विधान एम.जी.रोड के साथ प्रस्तावित एम.जी.रोड के विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है)	(क) 4.80 हेक्टेयर (ख) 8.90 हेक्टेयर (ग) 6.30 हेक्टेयर योग: (क) + (ख) + (ग) = 20 हेक्टेयर	मनोरंजनात्मक (पी-1, लैट्रीय पार्क) मनोरंजनात्मक (पी-1, लैट्रीय पार्क) मनोरंजनात्मक (पी-1, लैट्रीय पार्क)	परिवर्तन मनोरंजनात्मक (पी-1, लैट्रीय पार्क) रिहायशी	उत्तर- पहरोती पांहिपातपुर रोड दक्षिण तथा परिवर्तन - एम.जी.रोड 2021 में प्रस्तावित एम.जी.रोड भू-उपयोग लान के अनुसार क्षेत्रीय पार्क दी सीमाओं के अनुसार पूर्व- पहरोती- मुड़गाड़ रोड तथा भाटी माइन रोड

[फा. सं. के-12011/21/2009 द्वी ढी आई ची]

भू-विवरनाभ्य, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2011

S.O. 789(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2352(E) dated 29th September, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

- I. The land use of the following area admeasuring 27.97 Ha. situated at South of Qutab Institutional Area, New Delhi falling in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land changed to	Use	Boundaries
1	2	3	4	5	
South of Qutab Institutional Area, Zone-F	27.97 Ha.	'Public & Semi-Public (PSP)'	'Recreational (P-1, Regional Park)'		North - Qutab Institutional Area South - Regional Park East - Qutab Institutional Area West - J.N.U. Road

- II. The land use of the following area admeasuring 20 Ha. situated at South of Mehrauli-Mahipalpur Road, New Delhi falling in Zone-J (excluding area of existing M.G. Road with proposed M.G. Road with proposed 80.0 mt. R/W i.e. 3.39 Ha.) is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land changed to	Use	Boundaries
1	2	3	4	5	
South of Mehrauli-Mahipalpur Road Zone-J (excluding area of existing M.G. Road with proposed M.G. Road with proposed 80.0 mt. R/W i.e. 3.39 Ha.)	(a)4.80 Ha. (b)8.90 Ha. (c)6.30 Ha. Total-(a)+(b)+(c) = 20 Ha.	'Recreational (P-1 Regional Park)' 'Recreational (P-1 Regional Park)' 'Recreational (P-1 Regional Park)'	'Transportation' 'Recreational (P-2 District Park)' 'Residential'		North- Mehrauli-Mahipalpur Road South & West - Boundaries of Regional Park as per the existing Land Use Plan contained in MPD-2021 East - Mehrauli-Gurgaon Road & Bhatti Mines Road

[F. No. K-12011/21/2009-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203।
No. 1203।

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2011/आषाढ़ ३, 1933
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2011/ASADHA 3, 1933

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुपाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2011

विषय : दिल्ली मुख्य योजना—2021 के कारण बढ़े हुए एफ.ए.आर. के लिए उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य प्रभारों के लिए ताग् की जाने वाली दरों का निर्धारण [औद्योगिक प्लाटों के अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए दरों की कमी अर्थात् अधिसूचना सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 की पद सं. ५(च)]।

का.आ. 1441(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, औद्योगिक प्लाटों के संबंध में अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों को दरों में कमी करने के संबंध में भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 में निम्नलिखित अंशोधन करता है :—

दिनांक 23-12-2008 की अधिसूचनाओं का पैग 5(च) निम्नलिखित द्वारा बदला जाएगा :

(दरे प्रतिवर्ष मीटर रु. में)

क्रम सं.	क्षेत्र	शहरी विकास पंचालय द्वारा यथा अनुमोदित संरोक्षित दरें (जार के 25 प्रतिशत की दर से)	रु.
1.	केंद्रीय, दक्षिण एवं द्वारका		रु. 10295
2.	ठत्ता, पूर्व, परिचय एवं रोहिणी		रु. 7171
3.	नरेता		रु. 4875

दिनांक 23-12-2008 की अधिसूचना के अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

ये दरें केंद्र सरकार के अनुमोदन से आगे संरोक्षित और अधिसूचित किए जाने तक ताग् रहेंगी।

[फा. सं. 20(4)05/एप.पी./पट-II/पट]

डॉ. सरकार, अमृक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2011

Sub. : Fixation of the rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges for enhanced FAR arising out of MPD-2021 [reduction of rates for additional FAR of industrial plots i.e. Item No. 5(f) of the Notification No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008].

S.O. 1441(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following modification to Notification No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) with regard to reduction in rates of additional FAR charges in respect of industrial plots.

Para 5(f) of the notifications dated 23-12-2008 shall be substituted by the following :

(Rates in Rupees Per Sqm.)

Sl. No.	Zone	Modified rates (@25% of ZAAR) as approved by MOUD
1.	Central, South and Dwarka	Rs. 10295
2.	North, East, West and Rohini	Rs. 7171
3.	Narela	Rs. 4875

Other contents of the notification dated 23-12-2008 will remain unchanged.

These Rates will remain in force till these are further modified and notified with the approval of the Central Government.

[F. No. 20(4)05/MP/Pl-II/Part]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. १८७२।

नई दिल्ली, बहुमतिवारा, सितम्बर २९, २०११/आश्विन ७, १९३३

No. १८७२।

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2011/ASVINA 7, 1933

शहरी विकास भवनालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, २९ सितम्बर, २०११

क्र.आ. २२६।(अ).—यतः यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६१) के खण्ड-४४ के प्रावधानों के अनुसार दिनांक १३ अक्टूबर, २०१० की सं. क्र.आ. २५५०।(अ) को सार्वजनिक सूचना द्वारा घटने के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीम दिन के अन्दर उक्त अधिनियम के खण्ड ॥-ए के उप-खण्ड (३) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आपेक्षित किए गए।

२. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

३. यतः केन्द्र सरकार ने मापले के सभी पहुंचों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-२०२१ में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

४. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड ॥-ए के उप-खण्ड (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-२०२१ में एतद्वारा निर्वाचित संशोधन करती है।
संशोधन :

योजना जोन 'डी' में त्यागराज नगर में ६५४६६.२३ वर्ग मी. के भू-उपयोग का (i) "आवासीय" (७८०.०३ वर्ग मी.) और (ii) मनोरंजनत्पक (डिस्ट्रिक पार्क) (६४६८६.२० वर्ग मी.) से सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ) में विवरित है।

इन प्लानों की चारदीनारी का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रियोति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-२०२१)	परिवर्तित भू-उपयोग	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
योजना जोन 'डी' में त्यागराज नगर	(i) ७८०.०३ वर्ग मी.	"आवासीय"	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि)	उत्तर-आवासीय (पौजूदा पार्क) दक्षिण और पूर्व - त्यागराज स्पोर्ट्स काम्पलैक्स पश्चिम-आवासीय (रच्चतर साम्यानिक विश्रात्यु)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ii) 64686.20 वर्ग मी. "परोटोनाट्यक"	(डिस्ट्रिक पार्क)	सार्वजनिक और अर्थ-सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि)	उत्तर-श्री गंगा नदी मार्ग (24.38 मी. माणिपिकार)
			दक्षिण - चन्दु लाल नाट्यको मार्ग और नाला
			पूर्व : डिस्ट्रिक पार्क पश्चिम-आवासीय (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)

[फा. सं. के-13011/3/2010-टी ढी आई जे]

मुमीत कुमार, अंवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2011

S.O. 2261(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 2550(E) dated, 13th October, 2010 by the Delhi Development Authority, in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The change of land use of 65466.23 sq.m. from (i) 'Residential' (780.03 sq.m.) and (ii) 'Recreational'(District Park) (64686.20 sq.m.) to 'Public and Semi-public facilities (Socio-Cultural activity)' at Thayagraja Nagar, in planning Zone 'D'. The boundary description of the plots are as under :—

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Thayagraja Nagar in planning Zone 'D'	(i) 780.03 sq.m.	'Residential'	Public and Semi-public facilities (Socio- Cultural activity)	North : Residential (Existing Park) South and East : Thayagraj Sports Complex West : Residential (Sr. Secondary School)
	(ii) 64686.20 sq.m.	'Recreational' (District Park)	Public and Semi-public facilities (Socio- Cultural activity)	North : Shri Ganganath Marg. (24.38 m R/W) South : Chandu Lai Balmiki Marg and drain East : District Park West : Residential (Sr. Secondary School)

[F. No. K-13011/3/2010-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958]

नई दिल्ली, बुधवार, 12, 2011/आश्विन 20, 1933

No. 1958]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011/ASVINA 20, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2350(अ).—यतः यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 6 नवम्बर, 2009 की सं. का.आ. 2852(अ) की सावंजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने गामते के सभी पहलुओं पर एवन्पूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपर्युक्त(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधनः

माटीपुर जॉन (जॉन जी-10) में 2.5 हेक्टेयर के भू-उपयोग का 'आवासीय उपयोग से सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग (अस्पताल)' में परिवर्तन। चारदीवारी का विवरण निम्नानुसार हैः—

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
माटीपुर (जॉन जी-10)	2.5 हेक्टेयर	'आवासीय उपयोग'	सर्वजनिक और अर्द्ध- सार्वजनिक उपयोग (अस्पताल)	उत्तर- हरित क्षेत्र(पार्क) दक्षिण - आवासीय पट्टेट पूर्व- पट्टेट एवं स्कूल पश्चिम- स्कूल एवं खुला स्थान

[फ. सं. के-13011/13/2009-डो ढो । चौ]
सुरोत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

S.O. 2350(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2852(E) dated 6th November, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government

[पान II—खण्ड 3(ii)]

hereby makes the following
Delhi- 2021 with effect
Notification in the Gazette

the said Master Plan for
of Publication of this

Modification :

The change of land use of 2.5 Ha. from 'Residential Use' (to
'Public and Semi-public Use (Hospital)' at Madipur Zone (Zone G-
10). The boundary descriptions are as under:-

Location	Area	Land use (MPD- 2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Madipur (Zone 'G- 10')	2.5 Ha.	'Residential Use'	'Public and Semi-Public Use (Hospital)'	North: Green Area (Park) South: Residential Flats East: Flats & School West: School & Open Space

[F. No. K-13011/13/2009-DDIB]
SUNIL KUMAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकर से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1959।

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2011

No. 1959।

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER

933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2351(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 25 नवम्बर, 2010 की सं. का.आ. सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोट के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए।

१ केन्द्र

61)

नेक

त

।

2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर व्यानपूर्वक विचार कर मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजक्षेत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधनः

क्र०सं०	एम.पी.डी-2021 का पृष्ठ सं०/ पैरा/खण्ड	संशोधन
1.	पैरा 12.12.2 के तहत पृष्ठ सं० 78 विकास	मद (vii) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है:-

	नियंत्रण मानदण्ड और अनुमेयता।	(viii) विश्वामान पेट्रोल पम्पों के मामले में उपयुक्त फीस/ प्रभार/ दुरुपयोग, दण्ड और अन्य प्रभारों के भुगतान की शर्त पर केवल उन पच्चाल स्टेशनों/पेट्रोल पम्पों जो कि उक्त मद i, ii और iii में निहित नियंत्रण का पालन करते हैं, वाणिज्यिक गतिविधि हेतु अधिकतम 10 एक.ए.आर. के प्रावधान की अनुमति होगी।
--	----------------------------------	---

[फा. सं. के-12011/24/2009-डी डी 1 बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

S.O. 2351(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding Development Control Norms and Permissibility which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2841(E), dated 25th November, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have matter, decided to modify the Master Plan for Delhi.

3. Now, therefore, in exercise of the power, section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby, modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of this Notification in the Gazette of India.

considering all aspects of the

modification in the
this Notification in the

Modification :

S.No.	Page No./para/ clause No. of MPD-2021	Modification
1.	Page Under 12.12.2 para Development Control Norms and permissibility	No.78 After point (vii) the (viii) In case of existing provision of maximum commercial activity is applicable only to those fuel stations having fuel control pumps which conform to the controls given in points i, ii and iii, above subject to payment of appropriate fees/ levies/ misuse, penalty and other charges.

[F. No. K-12011/24/2009-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 1960]

नई दिल्ली, बुधवार, 12, अक्टूबर 2011/3।

No. 1960]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2352(अ).—यतः यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 की सं. क. सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उसे तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधनः

हरकेश नगर में निम्नलिखित 2000 वर्ग मी० क्षेत्र के भू-उपयोग का मनोरंजन (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक एवं अर्थ-सार्वजनिक (सामुदायिक हॉल)' में परिवर्तन नीचे दिए गए विवरणानुसार किया है:-

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
जोन 'एफ' में हरकेश नगर	2000 वर्ग मी०	मनोरंजन (जिला पार्क)	'सार्वजनिक और अर्थ- सार्वजनिक' (सामुदायिक हॉल)	उत्तर पूर्व- प्रस्तावित 9 मी० रोड दक्षिण पूर्व - दित्ती जल बोर्ड की बाँड़ी ताल उत्तर पूर्व- डिस्ट्रिक्ट पार्क दक्षिण पूर्व- डिस्ट्रिक्ट पार्क

[फा. सं. के-13011/9/2009-टी डी । ची]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

S.O. 2352(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2710(E) dated 28th October, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 2000 sqm. from 'Recreational' (District Park) to 'Public & Semi Public' (Community Hall) at Harkesh Nagar is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Harkesh Nagar Zone 'F'	In 2000 sqm.	'Recreational' (District Park)	'Public & Semi Public' (Community Hall)	North East: Proposed 9 M Road South East: Boundary wall of Delhi Jal Board North East: District Park South East: District Park

[F. No. K-13011/9/2009-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

पान II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39। नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2012/पौष 19, 1933
No. 39। NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2012/PAUSA 19, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 46(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की का.आ.सं. 687(इ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जया था। जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए के उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपतियाँ/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए के उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधनः

क्रमांक	विषय	भौगोलिक उपयोग का परिवर्तन	सोमाएं
1.	नई दिल्ली योजना जोन 'D' में सफदरजंग में रेलवे स्टेशन प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) क्षर्यालय के 18557.82 वर्ग मी. क्वारफल के भू-उपयोग का प्रस्तावित परिवर्तन	'मनोरंजनात्मक' से 'सरकारी' (सरकारी क्षर्यालय) इस थर्ट पर कि विदेश मिशन के लिए दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार यिक्स नियंत्रण इस परिसर पर लागू होगा।	उत्तर -पैक एवं स्लोवाक दूतावास पूर्व- पैक दूतावास के साथ अकबर भवन से सफदरजंग रेलवे स्टेशन फुट औवर ब्रिज तक जाने वाली सड़क दक्षिण- रेलवे ट्रैक पश्चिम- शान्ति पथ

[फा. सं. के-13011/4/2010-ठी ठी । बी]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

मुख्यमंत्री कुपार, अवार सचिव

S.O. 46(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 687(E), dated 4th April, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:

Modification

SL No.	Subject	Change of land use	Boundaries
1.	Proposed change of land use of the area measuring 18557.82 sq.m of the Centre for Railway Information Systems (CRIS) office at Safdarjung, New Delhi in Planning Zone 'D'.	From 'Recreational' to 'Government (Government Office)', subject to the condition that development control as per MPD-2021 for foreign mission shall be applicable for this premises.	North : Czech and Slovak Embassies. East : Road leading to the footover bridge of the Safdarjung Railway Station from Akbar Bhavan along the Czech Embassy. South : Railway Track. West : Shanti Path.

[F. No. K-13011/4/2010-DOTB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064.
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

90



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
 PART II—Section 3—Sub-section (ii)
 प्राप्तिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51।

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2012/पौष 21, 1933

No. 51।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012/PAUSA 21, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2012

का.आ. 60(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा -44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2011 की सार्वजनिक सूचना सं. 89(ई) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियों/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपतियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामते के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

91 GV/2012

(1)

91

संशोधन: जोन- एफ में ओल्ड जे एन यू कैम्पस में केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए तिम्नलिखित 4653.00 वर्ग मीटर माप के क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के अनुसार सार्वजनिक और अर्ध- सार्वजनिक सुविधाओं से सरकारी(सरकारी कार्यालय) में नीचे वर्णित व्यौरे के अनुसार इस शर्त पर परिवर्तित किया जाता है कि इस विन्यास नक्शे के यातायात अध्ययन कराने के पश्चात् अनुमोदित किया जाना है:-

स्थान	क्षेत्र	भूमि उपयोग (एमपीडी-2021)	भूमि उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
जोन- एफ में ओल्ड जे एन यू कैम्पस में केन्द्रीय सूचना आयोग	4653 वर्ग मीटर	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक उपयोग(जे.एन.यू.कैम्पस)	सरकारी उपयोग	उत्तर -नरसरी और सी.आई.सी. संस्थान हेतु प्रस्तावित प्लॉट पश्चिम- नाला पूर्व- विधान क्षेत्र दक्षिण- 80 फुट चौड़ी सड़क

[का. सं. के-13011/6/2010-डी.। बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2012

S.O. 60(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.89(E) dated 17th January, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice. And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority. And



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. २००।
No. 200।० नई दिल्ली, शुक्रवार, फारवारी ३, २०१२/माघ १४, १९३३
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2012/MAGHA 14, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली उपाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, २ फरवरी, २०१२

क्र.अ. २२५(अ).—यह: विकास नियंत्रण मानदण्डों और अनुप्रयोग के संबंध में केन्द्र सरकार का मास्टर प्लान दिल्ली-२०२१ में बिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव या जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६१) को धारा ४४ के प्रवधारणों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा २५ जुलाई, २०११ के सं. क्र.आ. १६९८(अ) के माध्यम से भारत के असाधारण यजपत्र में सर्वोच्च नोटिस के रूप में उक्त अधिनियम की धारा ११-ए को उप-धारा (३) में अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव, उक्त नोटिस की तिथि से ३० दिनों के भीतर आपेक्षित करने हुए, प्रकाशित किया गया था।

२. अतः केन्द्र सरकार ने इस मापदंड के सभी छहतुओं पर समर्थनपूर्वक विचार करने के पश्चात् मास्टर प्लान दिल्ली-२०२१ में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

३. इसलिए, अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा ११-ए की उप-धारा (२) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारत के यजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त मास्टर प्लान दिल्ली-२०२१ में एकदमापन निष्पत्तिभित संशोधन करती है।

संशोधन :

मास्टर प्लान-२०२१ की तालिका ४.३ में, 'विदेशी मिशन' उपयोग परिसरों के लिए, अनुप्रयोग उपयोग/उपयोग गतिविधियों के कॉर्टम के अंतर्गत निष्पत्तिभित शब्दों को हटाया जाना है।

"(रिहायशी घटक हेतु एफ.ए.आर के अधिकतम २५% के साथ)"

[फा सं. के-२०११/५/२००७-डीडीबी]
सुनील कुमार, अवर सचिव

३६२ GV/2012

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2012

S.O. 225(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding Development Control Norms and Permissibility which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1698(E), dated 25th July, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

In Table 4.3 of MPD-2021, for 'Foreign Mission' use premises, under column Use/Use Activities Permitted, the following words to be deleted.

"(with maximum 25% of FAR for residential component)"

[F. No. K-12011/5/2007-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641।

नई दिल्ली, बुधवार, 4 अप्रैल 2012/चैत्र 15, 1934

No. 641।

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2012/CHAITRA 15, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2012

का.आ. 732(अ).—यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के पावधानों के अनुसार दिनांक 15/6/2011 की सा.आ.सं. 1399 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यह: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यह: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने की निर्णय लिया है।

4. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एवं द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

96

जोन -डी में पाकेट-6ए, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में आने वाले निम्नलिखित 8095.80 कर्गमीटर द्वारा का भू-उपयोग 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्थ सार्वजनिक' सुविधाओं में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है :

अवस्थिति	द्वे त्र	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
योजना जोन - डीमें पाकेट-6ए डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली	8095.80 वर्ग मीटर	'आवासीय'	'सार्वजनिक स्वं अर्थ- सार्वजनिक सुविधाएं'	उत्तर - डीडीयू मार्ग (36.58 गोड़ भौगोलिकार) दक्षिण - 10.0 मी० चौड़ी सड़क पूर्व - पाकेट-6 वी पश्चिम - अस्याई बाजार / वैष्णवी बाजार (1275 वर्ग मी०)

[सं. के-13011/4/2009-डी.डी. १ चो]

सुनीत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION :

New Delhi, the 4th April, 2012

S.O.732(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.1399(E) dated 15.6.2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 8095.80 sq.m. at Pocket 6-A, DDU Marg, New Delhi in planning Zone 'D' from 'Residential' to 'Public & Semi Public' facilities is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Pocket-6A, DDU Marg, New Delhi in Planning Zone 'D'	8095.80 sq.m.	'Residential'	'Public and Semi- Public Facilities'	North- DDU Marg (36.58m R/W) South- 10.0 m wide Road East- Pocket- 6B West- Informal Bazar/ Rehri Bazar (1275 sq.m.)

[No. K-13011/4/2009-DDIB]
SUNIL KUMAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-उपांड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1135।
No. 1135।नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

शहरी विकास पंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

का.आ. 1358(अ).—जबकि यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2010 के सं. का.आ. 1944(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अधिकृत आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

2. जबकि प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. जबकि केन्द्र सरकार ने मापदण्डों के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में ऐवंद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :-

जोन 'एफ' में निम्नलिखित क्षेत्रों के भूमि उपयोग को नीचे दिए गए विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

क्र.सं.	अवरिथति	भूमि उपयोग में परिवर्तन	स्थल निम्नलिखित से घिरा हुआ
1	2	3	4
1.	सेक्टर-10, आर.के.पुरम में 0.39 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'उद्योग' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' (समाज सदन)	दक्षिण :- सी आर.पी.एफ कैम्प, बाल बरसेरा एवं सार्वजनिक जी स्टेशन । पश्चिम :- सुविधा बाजार के लिए निर्धारित खाली पड़ी भूमि । पूर्व :- 9 मीटर चौड़ी सड़क । उत्तर :- 9 मीटर चौड़ी सड़क ।
2.	मस्जिद मोठ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की 12.99 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' (पी.एस-1, अस्पताल)	उत्तर :- 18 मीटर चौड़ी सड़क । दक्षिण :- आंशिक रूप में निर्मित मकान और आंशिक रूप से 18 मीटर चौड़ी सड़क पूर्व :- विद्यमान 18.0 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम :- नाले से सटी हुई 18 मीटर चौड़ी सड़क
3.	एन एच-2 (मथुरा रोड) पर मोलड बंद के निकट 4.19 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' (पी.एस-1, अस्पताल)	उत्तर :- आवासीय एवं रेलवे लाइन दक्षिण :- आवासीय पूर्व :- आवासीय पश्चिम :- एन एच-2(मथुरा रोड)
4.	अम्बेडकर नगर के समाज सदन (व्यावसायिक) में अस्पताल के लिए 1.0 हैक्टे. भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'व्यावसायिक' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' (पी.एस.-1, अस्पताल)	उत्तर: समाज सदन(व्यावसायिक) दक्षिण: विद्यमान आवासीय क्षेत्र पूर्व: पुनर्विकसित क्षेत्र पश्चिम: विद्यमान आवासीय क्षेत्र
5.	विद्यमान मीठापुर सड़क को 60 मी. मार्गाधिकार तक चौड़ा करते हुए विद्यमान एन.टी.पी.सी. परिसर के दक्षिण की	'आवासीय', 2.0 हेक्टर, 'सुविधाएं' (पावर प्लांट) 3.5 हैक्टेयर एवं 'आवासीय'(जिला पार्क) 0.6 हैक्टे. से 'परिवहन'	प्रस्तावित 60 मी. सड़क की निम्न सीमा है :- उत्तर : एन.टी.पी.सी. की चार-दीवारी और मोलड बंद का आवासीय क्षेत्र

	तरफ जैतपुर रोड के साथ दि.मु.यो.—2021 की प्रस्तावित 90 मी.चौड़ी सड़क में संरेखण के लिए सुधार करना।		दक्षिण: जिला पार्क और ताजपुर एवं गोलंड बंद एक्सा का आवारसीय क्षेत्र पूर्व: आगरा नहर परिचम: मथुरा रोड
6.	राष्ट्रीय लघु उद्योग परिसर के विद्यमान औद्योगिक उपयोग के भाग, के रूप में माँ आनंदमयी मार्ग स्थित 1.33 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'मनोरंजनात्मक' उपयोग (जिला पार्क) से औद्योगिक	उत्तर: विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र (जिला पार्क) एवं विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र पूर्व: विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र एवं मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) परिचम: मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)
7.	लाडो सराय में 6.6 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से निम्नानुसार अन्य उपयोग: पाकेट-ए क्षेत्र: 0.77 हैक्टे. 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'आवासीय' पाकेट- बी क्षेत्रफल: 0.71 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक' एवं अर्ध-सार्वजनिक (अस्पताल, पी एस-I) पाकेट- 'डी' से 'जे' क्षेत्रफल: 0.68 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक' एवं अर्ध सार्वजनिक पाकेट - एल क्षेत्रफल: 2.0 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक' एवं	उत्तर: पौधशाला पूर्व: पौधशाला दक्षिण: विद्यमान सड़क परिचम: अरबिन्दो मार्ग-60 मी. मार्गाधिकार उत्तर: गांव की सड़क पूर्व: लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र एवं पार्क दक्षिण: लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र परिचम: अरबिन्दो मार्ग - 60 मीटर मार्गाधिकार उत्तर: लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र पूर्व: लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र दक्षिण: स्थानीय सुविधा केन्द्र परिचम: अरबिन्दो मार्ग - 60 मीटर मार्गाधिकार उत्तर: लाडो सराय गांव एवं दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय का निर्मित क्षेत्र ^{पूर्व: गांव की सड़क}

		अर्ध सार्वजनिक (पी.एस.-I, महाविद्यालय)	दक्षिण : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र पश्चिम : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र
		पॉकेट — के क्षेत्रफल : 0.90 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक'	उत्तर : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र पूर्व : बारात घर दक्षिण : महरौली रोड, 60मीटर मार्गाधिकार पश्चिम : कच्ची सड़क
		पॉकेट — पी क्षेत्रफल : 0.59 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'आवासीय' (स्थानीय बाजार)	उत्तर : लाडो सराय गांव एवं पॉकेट 'जो' का निर्मित क्षेत्र पूर्व : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र दक्षिण : गांव की सड़क पश्चिम : महरौली रोड, 60मीटर मार्गाधिकार
		पॉकेट — एक्स क्षेत्रफल : 0.95 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'आवासीय'	उत्तर : सुविधा बाजार पूर्व : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र दक्षिण : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र पश्चिम : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र
8.	सीरी फोर्ट परिसर के समीप 10.93 हैक्टेयर का क्षेत्र	'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक' (खेल परिसर)	उत्तर: सीरी फोर्ट रोड दक्षिण:सीरी फोर्ट खेल परिसर पश्चिम:सीरी फोर्ट सांस्थानिक क्षेत्र पूर्व : मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)

[फा. सं. के-12011/3 जून-एफ/2010-डीडीआईबी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

S.O. 1358(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.1944(E) dated 10th August, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice. And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority. And

Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

113

2159612-2

Modification :

The land use of the following areas in Zone 'F' is changed as per description listed below:-

Sl. No.	Location	Change of Land Use	The site is Bounded by the following
1	2	3	4
1.	Change of land use of land measuring 0.39 ha. In Sector-10, R.K. Puram	'Industry' to 'Public & Semi Public' (Samaj Sadan)	South: CRPF Camp, Bal Basera & CNG Station West: Vacant Land earmarked for Convenient Shopping Centre. East: 9 mtr. wide road North: 9 mtr. wide road.
2.	Change of land use of land measuring 12.99 ha. owned by All India Institute of Medical Sciences at Masjid Moth.	'Residential' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital)	North: 18.0 mts. wide Road South: Partly built up houses and partly 18.0 mts. wide road. East: Existing 18.0 mts. wide road. West: 18.0 mts. wide Road adjoining the Nallah.
3.	Change of land use of land measuring 4.19 ha. on NH-2 (Mathura Road) near Mollar Band.	'Residential' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital)	North: Residential & Railway Line South: Residential East: Residential West: NH-2 (Mathura Road)

4.	Change of land use of land measuring 1.0 ha. for Hospital in the Community Centre (Commercial) of Ambedkar Nagar.	'Commercial' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital)	North: Community Centre (Commercial) South: Existing Residential Area East: Redevelopment Area West: Existing Residential Area
5.	Modification In the 90 meter wide. Proposed road of MPD-2021, adjoining to Jaitpur Road, for its alignment on southern side of the existing NTPC Complex by widening existing Meethapur Road to 60 M. R/W.	'Residential', 2.0 ha., 'Utilities' (Power Plant) 3.5 ha. & 'Residential' (District Park) 0.6 ha. to 'Transportation'.	Proposed 60 M. R/W has following boundaries: North: Boundary of NTPC & residential area of Mollar Band South: District Park & Residential area of Tajpur & Mollar Bank Extn. East: Agra Canal West: Mathura Road
6.	Change of land use of land measuring 1.33 ha. located on Maa Anand Mai Marg, as part of the existing Industrial Use of National Small Scale Industry Complex.	'Recreational' Use (District Park) to 'Industrial'	North: Existing Industrial Area South: Recreational (District Park) & Existing Industrial Area. East: Existing Industrial area & Recreational (District Park). West: Recreational (District Park).
7.	Change of land use of land measuring 6.6 ha. at Lado Sarai	'Recreational' (Distt. Park) to Other uses as given below:- <u>Pocket-A</u> Area: 0.77 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Residential'	North: Plant Nursery East: Plant Nursery South: Existing Road West: Aurobindo Marg-60mt. R/W.

		<p>Pocket-B Area: 0.71 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public' (Hospital, PS-I)</p>	North: Village Road East: Built up area of village Lado Sarai and Park South: Built up area of village Lado Sarai West: Aurobindo Marg-60mt. R/W.
		<p>Pocket 'D' to 'J' Area: 0.68 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public'</p>	North: Built up area of village Lado Sarai East: Built up area of village Lado Sarai South: Local Shopping Cetnre. West: Aurobindo Marg-60mt. R/W.
		<p>Pocket-L Area: 2.0 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public' (PS-I, College)</p>	North: Built up area of village Lado Sarai & MCD Primary School East: Village Road South: Built up area of village Lado Sarai West: Built up area of village Lado Sarai
		<p>Pocket-K Area: 0.90 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to Public and Semi Public</p>	North: Built up area of village Lado Sarai East: Barat Ghar South: Mehrauli Badarpur Road 75 mt. R/W West: Kacha Road
		<p>Pocket-P Area: 0.59 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Residential' (Local Shopping Centre).</p>	North: Built up area of village Lado Sarai and Pocket-'J' East: Built up area of village Lado

92/C

[पान II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

		<p>Pocket-X Area: 0.95 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Residential'</p>	<p>Sarai South: Village Road West: Mehrauli Road 60 mt. R/W</p> <p>North: Convenient Shopping Cetnre East: Built up area of village Lado Sarai South: Built up area of village Lado Sarai West: Built up area of village Lado Sarai</p>
8.	Area 10.93 ha. near Siri Fort Complex	'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public' (Sports Complex)	<p>North: Siri Fort Road South: Siri Fort Sports Complex West: Siri Fort Institutional Area East: Recreational (Distt. Park)</p>

[F. No. K-12011/3 Zone-F/2010-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण



EXTRAORDINARY

पांग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
 PART II—Section 3—Sub-section (II)
 प्रधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, मंगलवार, जूलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934
 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

No. 13351
 No. 13351

शहरी विकास पंचालय

(दिल्ली प्रधान)

अधिमूच्चना

दिल्ली, 17 जूलाई, 2012

का.आ. 1602(3). गत: यहाँ नीचे उल्लिखित हेतु के संबंध में दिल्ली के मास्टर इमान में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिकारीयम्, 1957 (1957 नं. 61) की घारा 44 के पावधानों के भव्यामार दिल्ली विकास प्रधिकारण द्वारा दिनांक 18 मई, 2010 की सांख्या 1171 (ई) के द्वारा सम्बोधित घटना के रूप में भारत के उत्तराधिकार संघर्ष में प्रकाशित निलगी एक नोटिस नि तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिकारीयम् की घारा 11-ए की सांख्या (3) द्वारा गया आंदोलन आपत्तिगां/सुझाव आगित किए गए थे; और

गत: प्रधानमंत्री संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तिगां/सुझावों पर दिल्ली विकास प्रांतिकरण द्वारा विचार किया गया, और

गत: केन्द्र सरकार ने आपत्ति के राहीं पहल्सों पर इयान्प्रतेक विवार करते के प्राप्त दिल्ली मास्टर इमान 2021 को संशोधित करने का विण्ठय किया है, और

गत: अब-उक्त अधिकारीयम् की घारा 11-ए की सांख्या 2 द्वारा घूटन शिक्षणों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एवं दूसरी सात के संजापत्र में इस अधिग्रन्थ के अन्वयिता हेतु की तारीख में स्कूल दिल्ली मास्टर इमान 2021 में विप्रांतोंने संशोधित करती है।

संशोधन

योजना विवार की गयी इसकी राह तथा दीर्घ समय लड़ दिल्ली के विवारों का विवेद नहीं करते

निम्नलिखित 8093.50 वर्गमीटर(2 एकड़) क्षेत्र का मूल्यांग निम्नलिखित विवरण के अनुसार बदलाव किया जाता है।

अवधियति	शोर	मूल्यांग (एमपीटी-2021)	परिवर्तित मूल्यांग	सीमाएं
1	2	3	4	5
योजना जोन -डी मै मिन्टो रोड तथा फ्रीड्रीय मार्ग, नई दिल्ली के ऊपरान पर पाकेट-4	8093.50	आकासीय	सार्वजनिक एवं अपौ- सार्वजनिक सुविधाएं	उत्तर - दीन दात उपाध्याय मार्ग दक्षिण - पुस्ता भवन पूर्व - पाकेट-4 ए पश्चिम - मिन्टो रोड

[प्र. श. क्र. 13011 1-2020 द्वितीयवी।]

प्रतिक्रिया अपेक्षित।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

S.O. 1602(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India Extraordinary, as Public Notice vide No S.O. 1171(F), dated 18th May, 2010 the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

104/8

Modification :

The land use of the following area measuring 8093.50 sqm. (2 acres), carved out of Pocket-4 at the junction of Minto Road and DDU Marg, New Delhi in Planning Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land use changed to -	Boundaries
Pocket-4 at the junction of Minto Road and DDU Marg, New Delhi in Planning Zone-D	8093.50 sqm. (2 acres)	"Residential"	"Public Land and Semi Public Facilities"	North: Deen Dayal Upadhyaya Marg South: Old Buildings East: Pocket 4A West: Minto Road

[F No K-13011/4/2009-DDIB]

SUNIL KUMAR Under Secy



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 13371
No. 13371नई दिल्ली, पंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

शहरी विकास पंचायत

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

का.आ. 1604(अ). यतः यद्यं नीचे उल्लिखित होत के संबंध में दिल्ली के गास्टर इलान में केन्द्र सरकार का जित कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 वर्ष 61) की धारा 44 के पार्वत्यानों के अनुसार दिल्ली विकास प्रणिकरण द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2010 की सा.आ.सं. 2011 (₹) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा गंभीर अपेक्षित आपत्ति/सुझाव आगरित किए गए थे; और

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में धारा 1604(अ) के संशोधनों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्रणिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने ग्रामते के राशी पहलुओं पर व्यानुपर्क के विचार करने के पांचांत दिल्ली भारता इतान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है; और

4. यतः अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एवं द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली गास्टर इतान, 2021 में विस्तृतिविहीन संशोधन करती है।

109/c

THE GAZETTE OF INDIA - EXTRAORDINARY

[PART II - SEC. 10(II)]

संशोधनः

जोड़ा के 11(दाराना) में विवरण अंक ५ पर पढ़ने वाले निम्नलिखित १०५६ वर्गमीलों को का अंतर्याम 'आवासीय' से 'राजसाधिक' में विभगनलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है।

अंतर्याम	होम	मू. उपयोग (एमटीडी-2021)	परिवर्तित मू.उपयोग	संमाच
1	2	3	4	5
द्वारका शोड जोन के १०५६ वर्गमीलों नजफगढ़ के सभीप पृष्ठक स्थित पानेट। (आग)	१०५६ घरी - मीटर	आवासीय राजसाधिक डीएमआरसी परियोजना प्रभावित रायकियों के पुनरीक्षा के लिए वि भावण्ड का उपयोग सुनिश्चित करेगा।	इस घरी के सभी राजसाधिक कि डीएमआरसी परियोजना से प्रभावित रायकियों के पुनरीक्षा के लिए वि भावण्ड का उपयोग सुनिश्चित करेगा।	प्रथम - निरिवासी निश्चित होन द्वितीय - निरिवासी निश्चित होन पूर्व - रायकियों निश्चित होन परिवर्तित डीएमआरसी के गांग विहाराली पानेट

[प्र. नं. के 13011/8/2012- दोडीउपाईवी]

पुनीत कुमार, अग्र अधिक

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

S.O. 1604(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2044(E) dated 20th August, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And

124

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 9056 sqm. at Najafgarh Road falling in Zone K-II(Dwarka) from 'Residential' to 'Commercial' is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land (MPD- 2021)	Use	Land use changed to	Boundaries
Isolated Pocket-I (Part) near Najafgarh Road at Dwarka More Zone K-II	9056 sqm.	'Residential'		'Commercial' with stipulation that DMRC to ensure use of plot for rehabilitation of project affected persons only.	North: Residential built up area South: Residential built up area East: Residential built up area West: Residential pocket with DMRC

[F. No. K-13011/8/2012-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

पांग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 1429।
No. 1429।नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना


नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

कानून 1728(3)।—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में टिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जित कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06 जून, 2011 की सा.आ.सं. 1300.(\$.) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
3. यतः केन्द्र सरकार से मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया; और
4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एवं द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जौन-सी में आने वाले धीरपुर फेज-1 के निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार है।



क्र. सं.	स्थान	क्षेत्रफल हेक्टर में	भूमि उपयोग (टि.मु.सी.-2021)	प्रस्तावित भूमि उपयोग	सीमां
1.	जौन-सी में धीरपुर फेज-1	20 हेक्ट.	आवासीय उपयोग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (यूनियर्सिटी कॉम्प्लेक्स फैसला)	उत्तर: बाहरी रिंग रोड दक्षिण: आवासीय भू-उपयोग पूर्व: डीडीए भूमि पश्चिम: प्रस्तावित सुधिष्ठ फैन्ड

2.	जोन 'सी' में धैरपुर केज-1	25.38 हेक्टर	आगामीय उपयोग	मन्तीरक-प्रत्यक्ष पार्क (जल संरचना के लिए होर)	डिस्ट्रिक्ट उत्तर: गांधी विहार टीरोण: नाला पूर्व: गांधी विहार के लिए सम्पादक सड़क पश्चिम: श्रीदेव मूरि
----	---------------------------	--------------	--------------	--	--

[फा. सं. के-13011/1/2011-डीडीआईनी]

मुनिल कुमार, अवारक्षित

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2012

S.O.1728(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1300(E) dated 6th June, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; and

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021; and

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area of Dheerpur Phase-I in Zone 'C' as per description listed below:—

Sl. No.	Location	Area in Ha.	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
1.	Dheerpur Phase-I in Zone 'C'	20 ha.	Residential Use	'Public & Semi Public' (University Campus PS-I)	North : Outer Ring Road South : Residential land use East : DDA Land West : Proposed Facility Centre
2.	Dheerpur Phase-I in Zone 'C'	25.38 ha.	Residential Use	Recreational 'District Park' (Area for water harvesting)	North : Gandhi Vihar South : Nala East : Approach Road to Gandhi Vihar West : DDA land

[F. No. K-13011/1/2011-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.